

उसको भी रोका जा सकता है। मैं इस विधेयक को पेश करके भारत सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता था। पूरी डिबेट सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सरकार ने और माननीय सदन ने मेरे विधेयक की मंशा को समझा है। मैं समझता हूँ कि विधेयक को पास करने की बजाए, इसकी मंशा को समझ लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इसको वोट डाउन नहीं करना चाहता। यदि सदन और माननीय मंत्री जी की इच्छा हो तो मैं इस विधेयक को वापस लेता हूँ।

This bill was, by leave, withdrawn

**THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010
(INSERTION OF NEW ARTICLE 371J)**

SHRI BHAGAT SINGH KOSHYARI (Uttarakhand): Sir, I beg to move:

That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संविधान संशोधन विधेयक, 2010 के लिए प्रस्ताव करता हूँ कि इस पर विचार किया जाए।

मान्यवर, उत्तराखंड राज्य हमारे देश का 27वां राज्य है। सन 2000 में तत्कालीन एन.डी.ए. सरकार ने झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ उत्तराखंड राज्य का निर्माण संसद के सभी दलों के समर्थन के साथ किया। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू-कश्मीर तक अन्य जो पहाड़ी राज्य हैं, इनमें बहुत कुछ समानताएं हैं। हालांकि समस्याएं सबकी एक-सी हैं, लेकिन सरकार की ओर से बाकी राज्यों के साथ एक अलग-सा व्यवहार हो रहा है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ अलग-सा व्यवहार हो रहा है?

आप जानते हैं उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है और इसका 65 प्रतिशत क्षेत्र विशुद्ध रूप से पर्वतीय है, वनों का क्षेत्र है। आज आप पर्यावरण की बात करते हैं, मैं सोचता हूँ कि देश के लिए ऑक्सीजन देने वाले पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड राज्य का अग्रिम स्थान है। इस राज्य को एक प्रकार से देवभूमि कहा जाता है। सारे देश के लोग यहां जाते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग यहां जाते हैं। हिमालय की गंगा, यमुना और काली, जिसे शारदा नदी भी कहा जाता है, ये सारे देश के लिए या एक प्रकार से पूरे उत्तर भारत के लिए सिंचाई का काम करती हैं।

आज दिक्कत क्या है? जब उत्तराखंड राज्य बना, उसके छः महीने के अन्दर राष्ट्रीय विकास परिषद, एन.डी.सी. ने इसको विशेष राज्य का दर्जा भी दिया। इन ग्यारह राज्यों में उत्तराखंड भी एक राज्य है। इसके लिए निश्चित रूप से मैं तत्कालीन सरकार जिसने इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन 1998 में, जो एन.डी.ए. की तत्कालीन सरकार थी, उसने नॉर्थ-ईस्टर्न राज्यों के लिए एक नियम बनाया। उस नियम के हिसाब से उन्होंने एक Non-Lapsable central pool of Resources (NLCPR) की रचना करके एक प्रकार से इसे स्वीकृति दी। 1998-99 के हमारे तत्कालीन फाइनांस मिनिस्टर की स्पीच में से मैं यह पढ़ रहा हूँ, उन्होंने कहा, "Furthermore, it has been decided that a Non-Lapsable Central Pool of Resources will be created for deposit of funds from all Ministries where the Plan expenditure on the North-Eastern Region is less than 10 per cent of

[Shri Bhagat Singh Koshyari]

the total Plan allocation of the Ministry. The difference between 10 per cent of the allocation and the actual expenditure incurred on the North-Eastern Region will be transferred to the Central Pool, which will be used for funding specific programmes for the economic and social upliftment of the North-Eastern States.”

मान्यवर, यह बहुत अच्छी बात है। आपने नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स के लिए यह बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे नॉर्थ-ईस्ट के हों, उत्तराखंड के हों, हिमाचल प्रदेश के हों या जम्मू-कश्मीर के हों, इन सबकी समस्याएं एक-सी हैं। इन समस्याओं के लिए जो assistance आप अपनी प्लानिंग में देते हैं, उससे पूरा नहीं होता है। उससे हमारे बहुत से काम रुके रहते हैं, इसलिए इसे विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद भी तत्कालीन सरकार ने इसके लिए Non-Lapsable Central Pool of Resources के तहत फंड क्रिएट किया।

मैं सोचता हूं कि आज उत्तराखंड को इससे वंचित किया गया है। आखिर ऐसा विभेद क्यों किया जा रहा है, यह जानने के लिए आज मैं यह बिल आपके सामने लाया हूं। आखिर उन राज्यों और हमारे राज्य के साथ इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है?

माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं आपके ध्यान में केवल इतना लाना चाहता हूं कि क्षेत्रफल में इस देश के 10 राज्य उत्तराखंड से छोटे हैं और 10 राज्य जनसंख्या में छोटे हैं। हिमालयन बॉर्डर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, शायद ये दो राज्य ही ऐसे हैं, जिनके लिए आप कह सकते हैं कि ये शान्तिपूर्ण राज्य हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि उत्तराखंड का पूरा 350 किलोमीटर का उत्तरी भाग चाइना और तिब्बत से लगता है। चाइना एंव तिब्बत की क्या हालत है, उसका वर्णन यदि मैं करूंगा तो उसमें लम्बा समय लग जाएगा।

पूरा-का-पूरा पूर्वी क्षेत्र, जहां आज माओवादी इतने बड़ी संख्या में आ गए हैं और जहां आज माओवादी राज भी कर रहे हैं, उस नेपाल से लगता है। मैं सोचता हूं कि अपने यहां ऐसे कितने राज्य हैं, जिनकी सीमाएं दो-दो विदेशों के साथ लगती हैं। इस राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति में आज आप कल्पना कर सकते हैं कि आज अगर हमारे पिथौरागढ़ जिले से मुझे चीन की सीमा पर पहुंचना होता है, तो मुझे पांच दिन पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर मैं चीन की सीमा पर पहुंच पाता हूं, जहां चीन ने अपनी सड़कें बना रखी हैं और जहां चीन की अपनी रेल आ रही है। ऐसे जितने भी स्थान हैं, उन स्थानों पर आज भी हमारे यहां सड़क नहीं है।

उत्तराखंड की सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने बतायी कि यह एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। और देश भक्तों का प्रदेश है। शायद आपको पता होगा कि उत्तराखंड जैसा सारे देश में कोई भी प्रदेश नहीं है। अगर आप किसी दूसरे प्रदेश से इसकी तुलना करेंगे, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, तब आपको पता चलेगा कि अगर शहीद होने वाले सर्वाधिक सैनिकों की संख्या किसी प्रदेश में है तो वह किसी अन्य प्रदेश की अपेक्षा उत्तराखंड होगा। अब सर्वाधिक मेडल पाने के मामले में किसी भी प्रदेश से इसकी तुलना कर लीजिए। हमारे कर्णाटक के कुर्ग में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, जहां बड़े-बड़े शहीद हुए हैं और जहां फौजियों की और

5.00 P.M.

एक्स सर्विसमैन की बड़ी संख्या है, उससे भी अधिक अगर कहीं मेडल्स प्राप्त होते हैं, तो वे उत्तराखंड के लोगों को प्राप्त होते हैं। मैं सोचता हूँ कि यह एक ऐसा प्रदेश है, जिसने इस देश के गौरव को बढ़ाया है और इस देश के सम्मान को बढ़ाया है। मैं सोचता हूँ कि भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी से लेकर हेमवती नन्दन बहुगुणा और हमारे डा. जोशी तक, ऐसे राष्ट्रीय स्तर के लोग, जो वास्तव में इस देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोग उत्तराखंड ने हमें दिए हैं। जहां तक उसकी भौगोलिक परिस्थिति का सवाल है, जहां तक उसकी शिक्षा और दूसरे सारे क्षेत्रों में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह एक छोटा सा प्रदेश है। आपके तीन-तीन कैबिनेट सेक्रेटरीज इस हिन्दुस्तान में केवल उत्तराखंड से हुए हैं। आज आप अगर इसी संसद में देखेंगे तो पाएंगे कि सर्वाधिक अगर कहीं के पत्रकार हैं, तो वहीं के मिलेंगे। राष्ट्रीय कवि सुमित्रानन्दन पंत से लेकर शैलेश मटियानी और शिवानी जैसे एक-से-एक बड़े-बड़े लेखक उस क्षेत्र से हैं। चाहे वे हिन्दी के क्षेत्र में हों या अंग्रेजी में, एक-से-एक लेखक आपको वहां मिलेंगे। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।

यहां अभी माननीय मानव संसाधन मंत्री जी बैठे हैं। जितनी भी केन्द्रीय सहायता प्राप्त हमारी योजनाएं हैं, व योजनाएं हमारे नॉर्थ-ईस्ट को आप स्पेशल कैटेगरी के हिसाब से 90 और 10 हिसाब से देगे। हमारे यहां सर्वशिक्षा के बारे में मैं जानता हूँ। माननीय मंत्री जी आप कभी मेरे साथ आइए, वहां पैदल चलिए तब आप देखेंगे कि वहां क्या होता है। यहां तो बड़ा सरल है? आप जवान आदमी हैं। यदि आप पैदल चलेंगे तब आपको पता लगेगा। मान्यवर, मैं सारे सदन का ध्यान इन ओर आकर्षित कर रहा हूँ कि अगर मैं अपने ही प्रदेश में हरिद्वार में आपके निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक स्कूल बनाऊंगा, तो जहां हमारा अंतिम छोर है या पहाड़ के अंतिम इलाके हैं, वहां पर उससे दोगुने या तिगुने खर्च में स्कूल बनता है। उसमें बहुत **deferences** हैं, लेकिन आज क्या स्थिति है? आपने बहुत अच्छा किया। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलत किया। आपने नॉर्थ-ईस्ट में आपकी जितने भी **Centrally aided** और **externally aided** योजनाएं हैं, उन सब में आपने यही किया। हमारे यहां भी 90:10 का है, लेकिन इसमें कितना है? 90:10 तो प्लान में होता है और उस प्लान में आप उनको 90:10 के रेश्यो से सहायता देते हैं। लेकिन, अन्य सारी जितनी भी सहायता है, जैसे हमें स्कूल बनाना है, तो आपने कहा कि नहीं-नहीं, 65 परसेंट आप दो 65 परसेंट तो शायद आप देते हैं आपने कहा कि 35 परसेंट आप दो। इस प्रकार अगर उसको आप 90:10 कर दें, लेकिन कब करेंगे? जैसे नॉर्थ-ईस्ट को एक स्पेशल पैकेज दिया गया है, आर्थिक पैकेज दिया है, उसी ढंग से जब हम यह सोचेंगे कि इसके लिए भी कुछ होना चाहिए। जैसे आपने नॉर्थ-ईस्ट के लिए **Non-Lapsable Central pool of Resources** बना रखा है, ऐसा ही कुछ बनाया जाए। आपने उसके लिए अलग से एक मंत्रालय, **DoNER**, भी बना रखा है। अब मैं पूछता हूँ कि आखिर उत्तराखंड ने कौन-सा अपराध किया है? **Even** हिमाचल का नाम नहीं लिया गया है, तो उसने कौन-सा अपराध किया है? ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एक जैसी ही परिस्थितियों में चल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आखिर कहीं न कहीं इनके लिए करना पड़ेगा। अपने पूरे देश की रक्षा के लिए हम सारे लोग चिन्तित रहते हैं। यह जो सारा सीमान्त क्षेत्र है, आप क्या यह चाहते हैं कि यहां भी कल को नेपाल से माओवादी आकर फैल जाएं? क्या आप यह चाहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति वहां हो जाए? आपने ज्यों ही वहां राज्य बनाया, तो राज्य बनाने से कम-से-कम उसकी कुछ प्रगति तो हुई है। मैं यह नहीं कहता कि यह केवल मैंने ही

[Shri Bhagat Singh Koshyari]

किया है। आपकी भी सरकार वहां पर थी? नारायण दत्त जी ने भी वहां पांच साल शासन किया। उस काल खंड में भी प्रगति हुई है, तो कहीं न कहीं लोगों को यह लगा कि हमारे लिए विचार किया जा रहा है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay. Koshyariji, it is five o'clock. I know your speech is not finished. You can continue next time.

श्री भगत सिंह कोश्यारी: सर, अगर आप कहें, तो मैं 15 मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It is a Private member's Bill....(Interruptions)...अगली बार when Private Member's Bill will be taken up...(Interruptions)..Don't worry, it will continue. ...(Interruptions)...The House is adjourned to meet on Monday, at 11.00 a.m.

The House then adjourned at five of the clock till
eleven of the clock on Monday, the 30th April, 2012